UPRB010005652023

न्यायालय District and Session Judge, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (ABDUL SHAHID), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06517**

सत्र परीक्षण संख्या 129/2023

राज्य
प्रति
सुनील तिवारी पुत्र स्व० अंजनी तिवारी
निवासी सुन्दर नगर, कस्बा व थाना बछरावाँ,
जिला रायबरेली।

04.04.2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ख अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता

1– आवेदक–अभियुक्त सुनील तिवारी के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता, इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध अंतर्गत धारा 406 एवं 307 भारतीय दण्ड संहिता का नहीं बनता है और उसको उक्त आरोप से उन्मोचित करने की कृपा करें।

2– आवेदक–अभियुक्त का यह कथन है कि उसको पुलिस के द्वारा दिनाँक 22.09.2022 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में निरूद्ध है। आरोप पत्र व उससे सम्बन्धित प्रपत्र, जो विवेचनाधिकारी के द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं, उनके अवलोकन से यह विदित होता है कि उन पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। जो चोटें घायल दीपक सोनी एवं अखिलेश को दर्शायी गयी हैं, वे साधारण प्रकृति की हैं और किसी ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना प्रतीत हो रही हैं। कोई भी चोट गम्भीर, घातक एवं प्राणघातक नहीं है। घायल के सम्बन्ध में जो चोटें दर्शायी गयी हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का भी कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी दीवानी प्रकृति के वाद में हथियार का प्रयोग नहीं होता है।

3– आवेदक–अभियुक्त के द्वारा **श्रीमती शीला देवी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य इत्यादि प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 नं० 16386/2021 [2022 (119) ACC 482]** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सम्मानित विधि व्यवस्था पर बल दिया है एवं

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **दण्ड अपील संख्या 1285/2021 मिथलेश कुमार जे० शॉ प्रति कर्नाटक राज्य आदि** सम्मानित विधि व्यवस्था पर बल दिया है।

4– अभियोजन के द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोप विरचित किये जाने के समय गुणदोष के आधार पर विस्तृत रूप से साक्ष्यों के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदक–अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु परीक्षण में पूर्ण अधिकार है और परीक्षण के समय वह अपने बिन्दुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक–अभियुक्त के किसी भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हेाता है। आवेदक–अभियुक्त आरोप अंतर्गत धारा 307 एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक–अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य को इस स्तर पर, आरोप विरचित किये जाने के समय मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

5– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **लल्लीराम इत्यादि प्रति मध्य प्रदेश राज्य** 2009 **(1) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल)** 17 में यह सम्मानित विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि साक्ष्यों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में ''पूर्व न्याय'' का सिद्धान्त प्रभावी नहीं होता है। दाण्डिक परीक्षण के वादों में, समस्त वादों को उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर ही निर्णीत किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **हरभजन सिंह इत्यादि प्रति पंजाब राज्य** 2009 **क्रिमिनल लॉ जर्नल** 4429 में यह सम्मानित विधि व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक वाद को उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर निर्णीत किया जायेगा।

6– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **उड़ीसा राज्य प्रति देवेन्द्र नाथ पाड़ी** (2005) 1 **सुप्रीम कोर्ट केसेस 568,** तीन न्यायाधीश की माननीय सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप विरचित किये जाने के समय सूक्ष्म जाँच की इजाजत नहीं है। यदि आवेदक–अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किये गये कथानक को आरोप विरचित किये जाने के समय स्वीकार किया जाता है, तो वह आरोप विरचित किये जाने के समय एक सूक्ष्म परीक्षण की श्रेणी में आएगा। यह दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के मुख्य उद्देश्य को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचित किये जाने के समय अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत सफाई के सम्बन्ध में, बिन्दु उस स्तर

पर देखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा **महेश प्रति उ०प्र० राज्य, 2006 (1) जे०आइ०सी० 916,** में सम्मानित विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप विरचित किये जाते समय केवल अभियेाजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया जायेगा, सफाई साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत, आरोप के स्तर पर, साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया।

8– अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सम्बन्ध में साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना न्यायोचित एवं उचित नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता, निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 7 ख अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

9– पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त/आवेदक–सुनील तिवारी के विरूद्ध धारा 307, 323, 406, 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप अलग से विरचित किया जाता है।

(अब्दुल शाहिद)
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
04.04.2023

Digitally signed by ABDUL SHAHID
Date: 2023.04.04 16:17:19 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Raebareli